राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 05/2022
निर्णय दिनांक :– 19/9/2022

प्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र दुदाराम उम्र–50 वर्ष
2. लुम्बाराम पुत्र दुदाराम उम्र 45 वर्ष
3. कुपाराम पुत्र दुदाराम उम्र 40 वर्ष
4. रामलाल पुत्र दुदाराम उम्र 30 वर्ष
5. कानु पत्नि दुदाराम उम्र 65 वर्ष

जातिगण–चौधरी निवासीगण–आना तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान

विरूद्ध

अप्रार्थीगण :–

1. घीसाराम पुत्र नगाराम उम्र–60 वर्ष
2. सरताराम पुत्र नगाराम उम्र–55 वर्ष
3. जीवी पुत्री हीराराम उम्र–52 वर्ष
4. टीकमराम पुत्र चेनाराम उम्र–53 वर्ष
5. भीमाराम पुत्र चेनाराम उम्र– 47 वर्ष
6. तिजो पत्नि चेनाराम उम्र 65 वर्ष
7. गंगा पुत्री चेनाराम उम्र 42 वर्ष
8. पोनी पुत्री चेनाराम उम्र 30 वर्ष

जातिगण–चौधरी निवासीगण–आना तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान

9. तहसीलदार देसूरी वास्ते राज.सरकार(भूमिधारी)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री भवानी सिंह कुम्पावत एवं भंवरी कुमारी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 5 लगाय 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 19/9/2022

1– प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन [illegible] आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण अपने ने आवेदन के साथ ग्राम–आना की खाता संख्या 294 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, एवं खाता संख्या 73 अप्रार्थीगण की जमाबंदी

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सम्वत् 2073 से 2076 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि ग्राम आना के खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.5000 हेक्टर किस्म चाही प्रथम में आने जाने के लिए (रास्ते की भूमि) 5 मीटर चौडे रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार अप्रार्थीगण सख्या 01 से 08 की निजी सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1179 रकबा 2.0700 हेक्टर में से उत्तर–पूर्वी माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह कुम्पावत, एडवोकेट भंवरी कुमारी ने वकालत नामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सख्यां 09 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/274 दिनांक 22.06.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 27.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 लगाय 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आना में अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1179 रकबा 2.0700 हेक्टर विद्यमान है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 4 शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है एवं उक्त भूमि में अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.5000 हेक्टर मे आवागमन का रास्ता आज से करीब 70 वर्ष पुराना रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1182, 1181, तथा खसरा नम्बर 1427/1182 के बीच में माट–माट लगता हुआ है। जिस पर काफी पुराना लोहे का पुराना गेट लगा हुआ है। रास्ता करीब 15 फीट चौड़ा है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण अपनी उक्त सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1180 में से करते आ रहे है। मौके पर रास्ता मौजूद है जो रास्ता अप्रार्थीगण ने अपनी सहखातेदारी जमीन में से दिया था। अब प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को नुकसान पंहुचाने की नियत से अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1179 मे से रास्ता की मांग कर रहे है। जो रास्ता की मांग न्यायोचित नहीं है। पूर्व में प्रार्थीगण को रास्ता दे दिया है, अब और रास्ता मांगने व प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। रास्ता संलग्न नक्शे में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शित है।

5– यह कि प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का रास्ता पूर्व से विद्यमान है अब और अप्रार्थीगण से रास्ता की मांग नही कर सकते है। अप्रार्थी को नुकसान पहुचनों व तंग, परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:30:11 IST
Reason: Self Attested

6– अप्रार्थी सख्या 09 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2022/1259 दिनांक 27.07.2022 के जरिये पटवारी हल्का आना एवं भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम आना की सह खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1180 कुल रकबा 0.5000 हेक्टर किस्म चाही प्रथम में आवगमन के पडौस स्थित खसरा नम्बर 1179 रकबा 2.0700 हेक्टर मे से उत्तर–पूर्वी माठ के किनारे–किनारे रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1179 रकबा 2.0700 हेक्टर मे से 64 मीटर लम्बा एवं 05 मीटर चौड़ा जिसका कुल क्षेत्रफल **64 x 5** = 320 वर्गमीटर भूमि बनता है जो दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 514931/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 320 वर्गमीटर की राशि रूपये 16480/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 32960/– बनती है।

7– बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अप्रार्थी ने अपने जवाब में रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होना स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1190, 1427/1182 से रास्ता बताया। मौके पर सिवायचक नाडी है अतः नाडी से आवागमन संभव नहीं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ते दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 अधिवक्ता ने बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दाहराते हुए तर्क किया कि आज से 70 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 1427/1182 से रास्ता दिया गया है सम्पूर्ण काश्तकार इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। नवीन रास्ते दिये जाने से अप्रार्थीगण की खातेदारी 2 भागों मे विभाजित हो जाएगी। मौके पर अन्य रास्ता विद्यमान है एवं राजस्व रेकर्ड में नाडी दर्ज नहीं है। नाडी से लगता हुआ ही 15 फीट चौडा रास्ता विद्यमान है जिसके फोटोग्राम संलग्न प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

8– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगणों की खातेदारी में से ही हैं अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

9– तहसीलदार देसूरी [illegible] रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया [illegible] की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम आना के खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.5000 [illegible] चाही प्रथम भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण की मांग [illegible] 01 लगाय 08 की निजी सह खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1179 रकबा 2.[illegible]00 हेक्टर में से उत्तर–पूर्वी माठ के सहारे–सहारे 64 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा कुल रकबा **64 x 5** = 320 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 32960/– रूपये का अनुदान भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को करना होगा।

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से 64 मीटर लम्बे एवं 05 मीटर चौडे कुल रकबा 64 x 5 = 320 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 32960 /- प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को दिलवाया जावे। प्रार्थीगण को सहखातेदारी भूमि ग्राम आना खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.5000 हेक्टर किस्म चाही प्रथम आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 08 की निजीसह खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1179 रकबा 2.0700 हेक्टर में से उत्तर–पूर्वी माठ के सहारे–सहारे 64 मीटर लम्बा एवं 05 मीटर चौडा कुल रकबा 64 x 5 = 320 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को सुपुर्द होने के बाद रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 19/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested